राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर

क्रमांकः– रापोबा/छात्र/2018/ दिनांकः–

–:: आदेश ::–

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,बाडमेर एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,बाडमेर के वरिष्ठ छात्र नये प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ परिचय के नाम पर अशालीन व्यवहार/रेगिंग करते है जो कि दण्डनीय अपराध है। इस महाविद्यालय परिसर में किसी भी वरिष्ठ छात्र द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रेगिंग लेते हुए पाये जाने पर वित्तीय दण्ड के अतिरिक्त निम्नांकित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है :–

1 दोषी छात्रों को कालांश से निष्काशित किया जा सकता है।
2 दोषी छात्रों को संस्थान से निष्काशित किया जा सकता है।
3 दोषी छात्र पर आर्थिक जुर्माना किया जा सकता है।
4 सार्वजनिक माफी मांगने को कहा जा सकता है।
5 इनकी छात्रवृति अथवा संस्थान से मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकता है।
6 दोषी छात्र को पुलिस प्रशासन को सौंपा जा सकता है। इनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है।

व्यक्तिगत अथवा सामुहित रूप से रेगिंग की कार्यवाही करते पाये जाने पर अथवा पहचान न हो पाने अथवा छिपाये जाने की स्थिति में सामुहिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है तथा ऐसे छात्रों पर कानूनी कार्यवाही कर भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 323 के तहत् रेगिंग लेते हुए पाये जाने पर क्रमशः एक वर्ष के कारावास व एक हजार रूपये जुर्माना या दोनो ही धारा 354 के तहत् दो वर्ष की कारावास का प्रावधान रखा गया है। अतः कोई भी छात्र/छात्रा रेगिंग जैसी दण्डनीय हरकत या अपराध न करके नये प्रवेशित छात्रों को लघुभ्राता की तरह स्नेह एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करे।

रेगिंग के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :–

1. श्री कमल पंवार, रजिस्ट्रार,रा.अ.म.बाडमेर एवं प्रभारी इलेक्ट्रोनिक्स रा.पो.म.बाडमेर
2. श्रीमति सरिता कल्ला–प्रभारी, केमीकल इंजिनियरिं,ग रा.पॉ.म.बाडमेर
3. कु0प्रियंका मीना –प्रवक्ता, केमीकल इंजिनियरिंग रा.पॉ.म.बाडमेर
4. श्री दिनेश सुथार प्रवक्ता – सिविल रा.पॉ.म.बाडमेर
5. श्री ओमाराम प्रवक्ता– रसायन रा.पॉ.म.बाडमेर
6. श्री अचलाराम प्रवक्ता–यांत्रिकी रा.पॉ.म.बाडमेर
7. श्री सौरभ पंवार अतिथि व्याख्याता, राज.अभि. महा.,बाडमेर

उक्त अधिकारी छात्र को उपरोक्त अपराध में लिप्त पाये जाने पर रिपोर्ट प्रधानाचार्य के समक्ष दण्ड की अभिशंषा के साथ प्रस्तुत करेंगें। उक्त आदेश अभियांत्रिकी एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्रों पर प्रभावी होगें।

sd

(राजीव कुमार जयसवाल)
प्राचार्य,राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय,बाडमेर
एवं नोडल अधिकारी,राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,बाडमेर

क्रमांकः– रापोबा/छात्र/2018/ 1269 – 1281 दिनांकः– 29-5-18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,बाडमेर
2 विभागाध्यक्ष – यांत्रिकी/विद्युत/इलेक्ट्रोनिक्स/केमीकल/विज्ञान एवं मानविकी
3. श्री कमल पंवार, रजिस्ट्रार,रा.अ.म.बाडमेर एवं प्रभारी इलेक्ट्रोनिक्स रा.पो.म.बाडमेर
4. श्रीमति सरिता कल्ला प्रभारी–केमीकल इंजिनियरिं,ग रा.पॉ.म.बाडमेर
5. कु0प्रियंका मीना प्रवक्ता–केमीकल इंजिनियरिंग रा.पॉ.म.बाडमेर
6 श्री दिनेश सुथार प्रवक्ता – सिविल रा.पॉ.म.बाडमेर
8. श्री ओमाराम प्रवक्ता– रसायन रा.पॉ.म.बाडमेर
9. श्री अचलाराम प्रवक्ता–यांत्रिकी रा.पॉ.म.बाडमेर
10. श्री सौरभ पंवार अतिथि व्याख्याता,राज.अभि.महा.,बाडमेर

प्राचार्य